

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ का. : 07759-221273 , नि. : 07759- 222504., फ़ैक्स 07759-223531, Email : dfo\_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 1052

कोरबा, दिनांक 22/6/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक  
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

विषय :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A part of Digital India) " के सफल क्रियान्वयन हेतु कोरबा जिला के कोरबा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत करतला ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि 3.570 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.473 हे. कुल रकबा 4.043 हे. पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने बाबत।

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/43122/2019

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ के द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A part of Digital India) " के सफल क्रियान्वयन हेतु कोरबा जिला के कोरबा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत करतला ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि 3.570 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.473 हे. कुल रकबा 4.043 हे. पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

01. आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु की गई है।
02. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव के शासन आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 24000/- रुपये जमा कराये गये है।
03. डायवर्सन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का साईड क्वालिटी - IVb, घनत्व 0.5 से 0.7 संलग्न है एवं इसमें किसी भी प्रजाति के वृक्ष खड़े नहीं है।
04. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार है -  
(III) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य मार्ग आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही है वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई गैर वनभूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।  
(IV) व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
05. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
06. डायवर्सन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के आस-पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
07. आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग है एवं आवेदित वनभूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

08. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची, कलेक्टर को अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

09. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सही औपचारिकताएँ पूर्ण कर डायवर्सन प्रस्ताव 4 प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्र – उपरोक्तानुसा प्रस्ताव 4 प्रति में।

वनमंडलाधिकारी

कोरबा वनमंडल कोरबा

22/6/2020

पृ.क्रमांक/तक.अ./ 1053

कोरबा, दिनांक

प्रतिलिपि :- 1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2) संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

कोरबा वनमंडल कोरबा